मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2017 को केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण हेतु प्लान के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1– श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
4– श्री कर्नल अजय कौठियाल, प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी।
5– श्री ओम प्रकाश, प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
6– श्री मुकेश परमार, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।
7– श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8– श्री ए0के दिनकर, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
9– श्री एच0के0 उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10– श्री निकुल शाह, जे0एस0डब्ल्यू0 ग्रुप।
11– श्री संदीप गोखले, जे0एस0डब्ल्यू0 ग्रुप।

सर्व प्रथम जे0एस0डब्ल्यू0 ग्रुप के श्री निकुल शाह द्वारा केदारपुरी के निर्माण हेतु प्रस्तावित मॉडल/डिजाईन के अनुरूप केदारपुरी के पुनर्निर्माण सम्बन्धी मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण किया गया ताकि भविष्य में होने वाले सभी निर्माण कार्य इसी प्लान के अनुसार किये जाय। प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार केदारपुरी को भव्यतम स्वरूप में स्थापित करने तथा धाम की दृश्यता को सामने से अधिक दर्शनीय बनाने के लिए पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के मार्ग में पूर्व में निर्मित लगभग–12 या 13 भवनों को आंशिक/पूर्ण रूप से तोड़ना पड़ सकता है। अतएव जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये कि वह यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों से वार्ता/निगोशियेट कर लें। परियोजना के अनुसार प्रथमतः भवन निर्मित कर इन प्रभावित लोगों को ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(कार्यवाही जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग)

2– प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार केदारपुरी को छः जोन में बांट कर अवस्थापना सुविधा, पेयजल, विद्युत आदि की व्यवस्था की जानी है। यह सभी व्यवस्थायें भूमिगत रूप से स्थापित की जायेंगी। सीवरेज लाईन एवं सम्पर्क मार्ग को धाम के बाहरी तरफ से बनाया जायेगा।

...2

3- मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यू0पी0सी0एल0, जल निगम, जल संस्थान एवं अन्य अवस्थापना सुविधायें विकसित करने हेतु जिस भी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हैं, उन्हें इसी स्तर पर प्लान में शामिल करते हुए प्रस्ताव मांग लिया जाय, ताकि लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो में कोई बाधा न हो।

(कार्यवाही जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, सचिव ऊर्जा, सचिव पेयजल विभाग)

4- मुख्य सचिव महोदय द्वारा केदारपुरी के पुनर्निर्माण की समस्त कार्यवाही के डाक्यूमेंट्री बनाने के निर्देश दिये गये ताकि पुराने स्वरूप व नये स्वरूप का विधिक दस्तावेज उपलब्ध हो सके इस सम्बन्ध में काफी टेबल भी बनायी जानी है।

(कार्यवाही जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग)

5- केदारनाथ में पेयजल, विद्युत आदि की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। यह निर्माण सामग्री अच्छी गुणवत्ता की हो इसका ध्यान रखा जाना होगा।

(कार्यवाही सचिव ऊर्जा, सचिव पेयजल, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग)

6- प्लान के अनुसार बनाये जाने वाले समस्त भवन स्थानीय वास्तुकला के अनुसार ही बनायें जायेंगे। ब्रिडकुल द्वारा भी एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था। अतएव जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग एवं जे0एस0डब्ल्यू0 ग्रुप को निर्देशित किया गया कि वह इस मॉडल को देख लें।

(कार्यवाही जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, JSW ग्रुप)

7- मास्टर प्लान के अन्तर्गत दैवीय आपदा से निपटने हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें/स्थान चिन्हित किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में आपदा विभाग प्रस्ताव देंगे।

(कार्यवाही सचिव आपदा, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग)

8- केदारपुरी में होने वाले नव निर्माण कार्यो को स्थानीय वास्तुकला के अनुसार कराये जाने हेतु पत्थरों का कटान किया जाना है तथा पठालों की आवश्यकता होगी। इन पत्थरों के कटान व ढुलान आदि में कितना व्यय आयेगा और यदि पड़ोसी राज्य हिमाचल से पठाल मंगाये जाते है तो कितना व्यय सम्भावित होगा। इस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र किसी अभियन्ता को भेजकर सर्वे कराया जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, लोक निर्माण विभाग)

9– अन्त में सभी विभागों को निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र निर्माण कार्यो को पूर्ण करायें तथा जे0एस0डब्ल्यू0 ग्रुप केदारपुरी में मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन करते हुए यथाशीघ्र जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, केदारनाथ विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, JSW ग्रुप)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन विभाग
संख्या :–3135/VI(1)/03(31)/2017
दिनांक 22 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. श्री निकुल शाह, प्रतिनिधि, JSW ग्रुप, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई।
6. बैठक में उपस्थित अधिकारीगण/सदस्यगण।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।